



न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ(अलवर)

(पीठारीन अधिकारी सुश्री सीमा गीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :- 03 / 105 / 2022 ऑनलाईन नम्बर:-2022 / 538 प्रवेश तिथि-09.12.2022

1. पटवारी हल्का थाना राजाजी जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. प्रकाश, सुखराम पुत्रान प्रभूदयाल, हरिकशन पुत्र रामदयाल जाति अहिर निवासी थाना तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

.....अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत वेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपस्थित- तहसीलदार राजगढ-प्रार्थी



—:निर्णय:—

दिनांक 05/02/2026

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की हाल आराजी खाता 133 संख्या खसरा संख्या 816/0.27 है 0 वाके ग्राम थाना तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त विवादीत आराजी का खातेदारी अप्रार्थी कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि है। जिसे अप्रार्थी के द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किस्म परिवर्तित कर अवैध प्लॉटिंग कर जमीन को खर्दु-बुर्द कर रहे है। जिसका अप्रार्थी को हक नही है। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के कानूनी प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तों को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। जिसे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। अप्रार्थी द्वारा टीनेन्सी की शर्तों को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब अप्रार्थी को जमीन से वेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायाचित है। प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय के लिए मुखासमत दिनांक 09.12.2022 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी खसरा 816/0.27 में अवैध रूप से प्लॉटिंग का कार्य करने की सूचना जरिये रिपोर्ट दी। बिना सक्षम स्वीकृति के ग्राम थाना के आराजी खसरा संख्या 816/0.27 पर अवैध प्लाटिंग कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थी के द्वारा कृषि भूमि समपरिवर्तन करने की कोई सक्षम स्वीकृति प्राप्त नही की गई है। तथा मौके पर यह भूमि अब पुनः कृषि उपयोग में लेने योग्य नही रही है। ना ही कृषि भूमि का स्वरूप बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है। जिससे राज्य सरकार को को राजस्व हानि हुई है। अन्त में प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी से अप्रार्थी को वेदखल करने व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला-अलवर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी बाद सुचना ताभिल उपस्थित नही आने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। लेकिन प्रार्थीगण की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 रूल 7 शीपीरी स्वीकार किया गया। इसके बाद अप्रार्थीगण प्रकाश, सुखराम, पुत्रान प्रभूदयाल, हरिकिशन पुत्र रामदयाल ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो निम्न प्रकार है-

1. प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी खसरा संख्या 816/0.27 है0 वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। जिसकी किस्म चाही-2 व जाव-2 है। जो अप्रार्थीगण प्रकाश, सुखराम पुत्रान प्रभूदयाल, हरिकिशन पुत्र रामदयाल जाति अहिर निवासी थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला की खातेदारी की आराजी है। जिस पर गिन अप्रार्थी कायिज होकर काश्त करता रहा है। अप्रार्थी को राज्य सरकार की ओर से खातेदारी को कृषि भूमि में कृषि करने का अधिकार प्रदत्त किये गये है। जिसमें अप्रार्थी कृषि कार्य करता चला आ रहा है।
 2. उक्त आराजी का आज दिनांक तक अकृषि कार्य में प्रयोग नही किया गया है। इसका उपयोग कृषि कार्य कर फल व सब्जी का कार्य किया जाता है। जिससे अप्रार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मैने मेरे आराजी खसरा संख्या के चारो और चार दिवारी की हुई है। जिससे राज्य सरकार को कोई राजस्व की हानि नही हुई है। किसी भी प्रकार का कोई भी प्लाटिंग कार्य नही किया जा रहा है। आज दिनांक तक कृषि कार्य कर रहा हूँ। मेरा कोई भी ऐसा कोई उद्देश्य नही है कि मै उक्त आराजी पर प्लाटिंग कर रहा हूँ। उक्त विवादित आराजी का स्वरूप परिवर्तन कर मैने अकृषि उपयोग नही किया गया है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने का निवेदन किया गया।
 3. बहस प्रार्थी तहसीलदार राजगढ की सुनी गई। तहसीलदार राजगढ द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद की। और प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।
 4. स्वयं अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान अपने जवाब में अंकित तथ्यों को मात्र दौहराया गया।
 5. बहस प्रार्थी तहसीलदार राजगढ पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी सम्बत 2072-75 खाता संख्या 133 खसरा संख्या 816/0.27 है0 वाके ग्राम थाना तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का प्लाटिंग कार्य कर कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन नही किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
- अतः-

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत प्रार्थी तहसीलदार राजगढ का प्रार्थना पत्र आराजी खाता 133 संख्या खसरा संख्या 816/0.217 है0 वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो। यह आदेश आज दिनांक 09/02/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(सुश्री सीमा मीत्रा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला-अलवर